आदेश की क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित तारीख
1	2	3

न्यायालय :– उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या– 06/2021

बासुदेव यादव एवं अन्य — **आवेदक।**

बनाम्

बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू — **प्रतिपक्षी**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता – मो0 मोबिन आलम

प्रतिपक्षी की ओर से अधिवक्ता – स्वयं

आदेश

05.08.22

30/08/~

प्रस्तुत वाद आवेदक बासुदेव यादव वो बलकु यादव वो खैटू यादव वो कपील यादव सभी के पिता– स्व0 तेजू यादव वो टुनू यादव वो प्रकाश यादव दोनों के पिता– स्व0 बासुदेव यादव सभी निवासी ग्राम– नगड़ा, थाना– बालूमाथ, जिला– लातेहार द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गयी तथा प्रतिपक्षी को प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया।

वाद का सारांश – आवेदकगण द्वारा आवेदन में अकल महतो के वंशावली उल्लेख करते हुए दावा किया है कि ग्राम– जाला, थाना– बालूमाथ, जिला– लातेहार के हाल सर्वे खतियान के खाता नं0– 66 में राजस्व प्रक्रिया के तहत् राजस्व कर्मियों की गलती से कॉलम 2 में तैजू महतो के स्थान पर बैजू महतो का नाम अंकित कर खतियान प्रकाशित किया गया है, जिसका सुधार न्याय के दृष्टि में आवश्यक है। आवेदकगण द्वारा उल्लेखित वंशावली निम्न प्रकार है :–

अकल महतो
↓
तैजू महतो
↓
बासुदेव महतो | बलकु महतो | खैटू महतो | कपील महतो

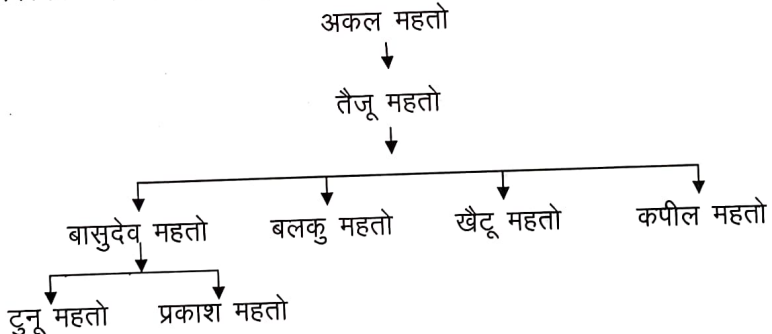

बासुदेव महतो
↓
टुनू महतो | प्रकाश महतो

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व प्रक्रिया के तहत् प्रकाशित हाल सर्वे खतियान के खाता संख्या– 66 में तैजू महतो के स्थान पर बैजू महतो अंकित होने की जानकारी स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के क्रम में हुई है। राजस्व पदाधिकारी के त्रुटि का निराकरण के लिए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की दफा 90 में प्रावधान किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय पलामू में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए बताया गया कि मौजा– जाला के हाल सार्वे खाता संख्या–66 से संबंधित भूमि का प्रारूप खतियानी सर्वे कार्यक्रम के आरंभिक चरण में दिनांक 09.06.1980 ई0 को तस्दीक शिविर के तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त

पदाधिकारी, पलामू के अनुमोदन पर जांचपरान्त बैजू महाते पिता– अकल महतो, निवासी नगड़ा के नाम पर प्रकाशित किया गया था, जिसका एक प्रति खाताधारी को हस्तगत करया गया था। उक्त खतियान का छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के दफा 83(2) के तहत् दिनांक 28.03.1990 को तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति भी खाताधारी को आपूर्ति किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा प्रतिउत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण के पिता का नाम बैजू महतो 1980 ई0 से निर्देशित है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की दफा– 90 के तहत् निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत संभावित लिपिकीय भूल का निराकरण साक्ष्य परीक्षण के पश्चात् करने का प्रावधान है।

न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, बालूमाथ से जांच पतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक 27 दिनांक 21.01.2022 के साथ संलग्न राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि गत सर्वे खाता संख्या– 36 प्लॉट– 97 एवं 562 कूल रकबा– 0.91 एकड़ का मांग पंजी–II में अकल महतो पिता– महली महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है, जिसका हाल सर्वे में खाता संख्या– 66 प्लॉट नं0 601 एवं 1254 कुल रकबा– 1.84 एकड़ का खतियान बैजू महतो के नाम बना है। जांच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अकल महतो के पुत्र का नाम तैजू महतो था।

अभिलेख में उपलब्ध प्रतिवादी का प्रतिउत्तर एवं अंचल अधिकारी, बालूमाथ का जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि खतियानी रैयत अकल महतो का पुत्र का नाम तैजू महतो था। ग्राम– जाला के हाल सर्वे खतियान के खाता संख्या– 66 में लिपिकीय भूलवश तैजू महतो के स्थान पर बैजू महतो के नाम से खतियान प्रकाशित हो गया है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा– 90 के तहत् खतियान प्रकाशन के पांच साल के अन्दर साक्ष्य परीक्षण के पश्चात् त्रुटियों के निराकरण करने का प्रावधान है। यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि हाल सर्वे खतियान का प्रकाशन वर्ष 1992 में हुआ है तथा आवेदकगण द्वारा वर्ष 2021 में त्रुटि निराकरण के लिए वाद दायर किय गया है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा दायर वाद छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा– 90 में किये गये प्रावधान के विपरीत है। आवेदकगण द्वारा कालबाधित समय–सीमा को क्षमा करने के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। फलस्वरूप यह वाद छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा– 90 के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/08/~

उपायुक्त, लातेहार।

30/08/~

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 17:42:13 +05:30
Location: 192.168.164.143